अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
23/05/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 74/2010** **केदारनाथ ओझा बनाम् बबलू उरांव एवं अन्य** प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन अपर समाहर्त्ता, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील संख्या–12-R15/2009-10 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। मूलतः विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची द्वारा भूमि वापसी वाद–393/2007–08 में ग्राम–सिमलिया, खाता नम्बर–182, प्लॉट नम्बर–1640, रकबा–1.74 एकड़ भूमि की वापसी हेतु आदेश पारित किया गया था, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा सम्पुष्ट किया गया था। अपीलार्थी का दावा है कि प्रश्नगत् भूमि के मूल रैयत हुसना उरांव थे तथा विपक्षी उक्त रैयत के वारिस है। यह भूमि वापसी वाद मात्र आवेदकों को परेशान करने के नियत से दायर किया गया था। विगत् Revisional Survey के समय से ही उक्त भूमि अपीलार्थी एवं उनके पूर्वजों के दखल में है। आवेदकों के पूर्वज धनराज ओझा प्रश्नगत् भूमि के सिकमी रैयत थे तथा लगातार भूमि उन्हीं के कब्जे में रही है। निम्न् न्यायालयों द्वारा पारित आदेश पूर्णतः गलत है, क्योंकि प्रश्नगत् वाद में धारा–46 का उल्लंघन नहीं किया गया है। सिकमीदार की भूमि को धारा–71(A) के तहत् वापस किये जाने का प्रावधान नहीं है। भूमि वापसी वाद की सुनवाई में साक्षियों द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि आवेदकों के तरफ से उक्त भूमि पर कई वृक्ष लगाये गये थे। इसके पश्चात् भी निम्न न्यायालयों द्वारा भूमि वापसी का आदेश पारित कर दिया गया। उक्त भूमि के हस्तांतरण में कोई छल–कपट नहीं किया गया है, अतः उक्त भूमि वापसी का प्रश्न नहीं उठता है। विपक्षी द्वारा कहा गया कि आवेदकों के पूर्वज उक्त भूमि पर सिकमीदार थे। प्रश्नगत् भूमि आदिवासी खाते की है तथा आवेदक सिकमीदार के उत्तराधिकारी के हैसियत से भूमि पर दखलकार है। सिकमीदार का अधिकार	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।

पैतृक (Heritable) नहीं है। सिकमीदार को मात्र अपने जीवनकाल तक ही भूमि का उपयोग करने का अधिकार है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार सिकमीदार को अवैध दखलकार का दर्जा प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदक का प्रश्नगत् भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, जिस कारण यह पुनरीक्षण मान्य करने का कोई आधार नहीं है।

उभयपक्षों की सुनवाई तथा अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान में हुसना उरांव एवं हरिदास उरांव के नाम से रैयती तथा कायमी दर्ज है। इस भूमि का लगान भी विपक्षियों के द्वारा भी भुगतान किया जा रहा है। विगत् सर्वे के बण्डा पर्चा में भी विपक्षियों का नाम ही दर्ज है। सिकमीदार के अधिकारों को Village Note में अंकित किये गये स्थानीय परम्परा के आधार पर ही मान्यता दी जा सकती है, अन्यथा सिकमीदार का अधिकार मात्र उनके जीवनकाल तक ही सीमित है। सिकमीहक उत्तराधिकारी को हस्तांतरणीय नहीं है। वर्णित परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि आवेदक का दावा मात्र सिकमीदार के वारिस होने के आधार पर है, जिसकी वैधानिक मान्यता नहीं है। निम्न न्यायालयों द्वारा उभयपक्षों को सुनते हुये विस्तृत विवेचना के पश्चात् ही आदेश पारित किया गया है। मूल सिकमीदार के मृत्यु के पश्चात् प्रश्नगत् भूमि स्वतः खतियानी रैयत को वापस हो जानी चाहिए, जो आवेदकों के द्वारा नहीं किया गया है, जिस कारण अभी तक वे भूमि पर दखलकार है। वर्णित परिस्थिति इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करते हुये निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को सम्पुष्ट किया जाता है। खतियानी रैयत के वारिसों को नियमानुसार दखल–दिहानी हेतु आदेश की एक प्रति उपायुक्त, राँची को प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित

23/11/22
प्रमण्डलीय आयुक्त

23/11/22
प्रमण्डलीय आयुक्त

Digitally signed by MUTHUKUMAR ALAGUMUTHU
Date: 2022.11.24 11:13:21 +05:30
Location: 10.93.72.187